

17<sup>01</sup>/<sub>2025</sub>

कैलाश सलवार उखण्डाधीन की ओर से दिनांक 10/11/24 को  
~~एक~~ एक कार्यवाही को निरस्त करा देते, साक्ष्य प्राप्त किया।  
साक्ष्य के साथ प्रमाण में विवरित किया जा सकता है। साक्ष्य  
की प्रति फेंक दी है। तब भी प्रमाण में प्रमाण नहीं है।  
पर बिना अडवरी (मुक्ति संयोजक) के बिना प्रमाण संयोजक  
का आलोचना करते हुए प्रमाण प्राप्त किया है। प्रमाण/साक्ष्य  
का शैक्षणिक प्रमाण देते, प्रमाण प्राप्त नहीं है। प्रमाण  
प्रमाण में अथवा कोई कार्यवाही प्रमाणित नहीं है। प्रमाण सलवार  
कोई आपत्ति नहीं की। अतः प्रमाण में कार्यवाही इसी स्तर पर  
समाप्त की जाती है। प्रमाण के साथ प्रमाण प्रमाणित नहीं है।  
दिनांक 09/12/24 को जारी अंतिम अलार्म निष्पादन निरस्त की जाती है।

उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज०)